T-373

संख्या– /xxxi(15)2016G-06(रा0सू0आ0)/2015

प्रेषक,

एस0राजू,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 10 मार्च, 2016

विषयः– समस्त जनपदों में जनपद मुख्यालय स्तर पर एकरुपता लाने के लिए जिलाधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक के सन्र्दभ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–2012 द्वारा संस्तुति की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर अनुभाग अधिकारियों के स्थान पर अनु सचिव व उप सचिव के स्थान पर अपर सचिव को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित कर दिया गया है। यद्यपि पूर्व में अपर सचिव लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव/प्रमुख सचिव प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित थे, आयोग की यह संस्तुति है कि जनपद मुख्यालयों में कुछ जनपदों में अपर जिला मजिस्ट्रेट तो कुछ जनपदों में स्वयं जिलाधिकारी अपीलीय अधिकारी हैं, जिस कारण जनसामान्य के स्तर पर असमंजस एवं भ्रांति रहती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद मुख्यालय स्तर पर इस सम्बन्ध में एकरुपता होनी आवश्यक है तथा जिलाधिकारी को ही प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाए ताकि सूचना का अधिकार सम्बन्धी कार्य प्रभावी ढंग से सम्पादित हो सके।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2011–12 की संस्तुति के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों कें जनपद मुख्यालय स्तर पर एकरुपता लाने के लिए जिलाधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित करने का कष्ट करें,उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0राजू)
मुख्य सचिव।

संख्या– 853 /xxxi(15)2016G-06(रा0सू0आ0)/2015,तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव,उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून ।

2–मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
3–समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4–निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को राजकीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
प्रभारी सचिव